

कार्यालय- नगर पालिका परिषद, जौनपुर

सं० मेमो/आ०

श्री. हरनाथ यादव

दिनांक 26/5/18

व्यवस्था - बैजाशमपुर
जौनपुर

विषय- भगत सिंह पार्क का निरीक्षण कार्य।

उपरोक्त कार्य के निमित्त आपको सहमति पत्र/टेण्डर/कोटेशन दिनांक 10-4-18 के क्रम में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति दिनांक 18-5-18 द्वारा रकम 2851000=50 की दर पर स्वीकृत प्रदान किया है। साथ ही 5 वर्ष तक पार्क का रख-रखाव हेतु रकम 288000=50 की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप जमानत की धनराशि रु. 286000=50 एन0एस0सी0/के0वी0पी0/एफ0डी0आर0 को अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, जौनपुर के पदनाम से प्लेज्ड होगा तथा स्टैम्प पेपर पर मु. 22800=50 के इस पत्र के पाने के दिनांक से सात दिवस दिन के अन्दर प्रेषित कर अनुबन्ध की औपचारिकता पूर्ण कर लें। श्री जीम कार चरु अवर अभियन्ता से इस कार्य के सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित करें।

कार्य अत्यन्त आवश्यक है। कार्यदेश प्राप्त करते ही कार्य दिनांक 28-5-18 से आरम्भ करके दिनांक 27-8-18 तक समाप्त कर दें। निर्धारित अवधि तक औपचारिकता न पूर्ण करने व निर्देशित समय से कार्य प्रारम्भ न करने पर उक्त आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पा० परिषद, जौनपुर

दिनांक.....

सं०

प्रतिलिपि- अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, जौनपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को इस आशय से कि वह कार्य की मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें और यह भी देख लें कि जमानत का रूपया व स्टैम्प पेपर पालिका में जमा हो गये हैं। साथ ही यह भी देख ध्यान रखें कि कार्य निर्धारित समय के अन्दर समाप्त हो जाना है।

Handwritten signature

अधिशासी अधिकारी
नगर पा० परिषद, जौनपुर



Uttar Pradesh Procurement System Government of Uttar Pradesh

Tenders

AOC Summary

Date : 04-Jun-2018 04:12 PM

Print

Organisation Chain	Directorate of Local Bodies UP Nagar Palika Parishad Jaunpur Jaunpur
Tender ID :	2018_DOLBU_174684_1
Tender Ref No :	2184/8 Nirman
Tender Title :	Civil work
Cover System :	2

Contract Date :	28-May-2018
Contract Value :	INR 2853000.00
Work Completion Period (in days) :	90
AOC document :	AOC.pdf (252.00 KB)
AOC Description :	Tender BOQ Value Plus Labourcess charge

Awarded Bids List

S.No	Bid Number	Bidder Name	Awarded Currency	Awarded Value
1	620008	HARINATH YADAV	INR	2851000.00

Congratulations! You have been awarded the contract for this tender.

Tender Inviting Authority



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रामजी सहाय

EE 818974

उपरोकड़िया

अनुबन्ध-पत्र


कोषागार, जौनपुर


आज दिनांक 14/6/18 को यह अनुबन्ध नगर पालिका परिषद, जौनपुर प्रथम पक्ष तथा स्व.सतवस यादव नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया।


- यह कि द्वितीय पक्ष निविदा पत्र दि- 10.04.2018 की शर्तों के अनुरूप इस कार्य का ठेका प्रथम पक्ष नगर पालिका परिषद, जौनपुर के अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी के आदेश दि 23.5.18 द्वारा भगत सिंह पार्क का निर्माण कार्य का प्राप्त किया है।
- यह कि इस निर्माण कार्य को द्वितीय पक्ष निर्धारित अवधि 3 माह के अन्दर पूरा कर देगा। यदि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा न करेगा तो अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह प्रतिदिन 100/- की दर से अथवा अनुबन्ध में उल्लिखित कार्य की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से अर्धदण्ड लगाया जा सकता है। अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी को मियाद बढ़ाने का अधिकार आवश्यकतानुसार होगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष ने कार्य पर 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि मु 286000/- का एफडीआर/सीडीआर/डीआर/एनएससी/नगद रसीद सं 567816 दि 26-05-2018 रु 157600/- 174117 रु 2010-04-2018 रु 10800/- के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, जौनपुर के पास जमा कर दिया। अगर द्वितीय पक्ष काम अन्दर मियाद/खत्म पूर्ण न करेगा तो नगर पालिका को अधिकार होगा कि धारा-2 में से मुनासिब मिन्हों कर लें।
- यह कि प्रथम पक्ष को कार्यादेश प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा यदि कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो जमानत धनराशि एवं धरोहर धनराशि को जब्त करके ठेका निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूरा करने में असमर्थ अथवा किसी कारणवश असफल रहता है, तो उसे निर्धारित अवधि के अन्दर ही अवधि बढ़ाने हेतु स्वयं उपस्थित होकर/रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थना पत्र देना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य कराते समय श्रम विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करेगा। कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग में कराना अनिवार्य होगा अन्यथा भुगतान रोका जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही कार्य करेगा।
- यह कि निर्माण कार्य कराते समय या बाद में यदि यह जानकारी में आये कि कार्य में सामग्री का प्रयोग निर्धारित मानक के अनुसार नहीं किया गया है और कार्य खराब हुआ है तो अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी को अधिकार होगा कि उसे गिरवा दें/उखड़वा दे ऐसी दशा में पुनः निर्माण कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, जिसका अतिरिक्त भुगतान पाने का उसे कोई अधिकार ठेकेदार को न होगा।
- यह कि ठेकेदार निर्माण कार्य में लगाने वाली निर्माण सामग्री मसाला निर्धारित मानक के अनुसार करेगा तथा लगाने से पहले अवर अभियन्ता नगर पालिका परिषद, जौनपुर को दिखाकर पास कराने के बाद ही इस्तेमाल करेगा, बिना पास शुदा कोई मसाला/सामग्री कार्य में प्रयोग नहीं करेगा।


—/12

10. यह कि कार्य प्रारम्भ करने के बाद द्वितीय पक्ष बिना किसी उचित कारण, के यदि काम पूरा न करके अथवा निर्धारित अवधि में कार्य पूरा न करे तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जौनपुर को अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष का ठेका समाप्त कर दे और ठेकेदार की जमानत जब्त कर ले तथा शेष कार्य को पूरा करने में यदि कोई अतिरिक्त व्यय हो तो उसकी भरपाई की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।
11. यह कि ठेकेदार कार्ययोजना के क्रियान्वयन/निर्माण के साथ-साथ उसके अगले 05 वर्षों तक रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा, जमानत धनराशि रख-रखाव अवधि बीतने के पश्चात ही वापस की जायेगी।
12. यह कि ठेकेदार द्वितीय पक्ष नगर पालिका परिषद, जौनपुर से कार्य की मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर नियमानुसार भुगतान पाने का अधिकार होगा।
13. शासनादेश के अन्तर्गत नियमानुसार ठेकेदार के बिल से आयकर, जी0एस0टी0, श्रमकर एवं रायल्टी आदि की कटौती की जायेगी।
14. कार्यादेश में उल्लिखित धनराशि से 10 प्रति0 तक के कार्य का पुनरीक्षण व्यय अनुमान का कार्य द्वितीय पक्ष को करना होगा।
15. निविदा में दिये गये किसी भी आइटम की घट-बढ़ पर ठेकेदार को कोई अधिकार न होगा। कार्य स्थल पर जितना कार्य करेगा उसी के भुगतान पाने का अधिकार होगा।
16. निविदा में दिये गये किसी भी आइटम को आवश्यकतानुसार स्थल पर कराने या न कराने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। इसका कोई दावा ठेकेदार का न होगा।
17. एकस्ट्रा आइटम का भुगतान निविदा/शेड्यूल में दी गई दरों के आधार पर ही किया जायेगा, जो आइटम शेड्यूल के न होंगे का भुगतान बाजार भाव की न्यूनतम दर पर किया जायेगा।
18. कार्यस्थल पर अवस्थित किसी भी सम्प्रदाय/धर्म की संरचना आदि के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जायेगी, इसका उत्तरदायित्व एकल रूप से द्वितीय पक्ष पर होगा।
19. कार्य को पूरा किये जाने से पहले रोक देने या आंशिक कार्य कराने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जौनपुर को होगा।
20. यह कि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन द्वितीय पक्ष द्वारा किये जाने की स्थिति में ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।


 ठेकेदार
 नगर पालिका परिषद,
 जौनपुर


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद,
 जौनपुर


 अध्यक्ष
 नगर पालिका परिषद,
 जौनपुर



768
11-6-18

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समक्ष:-

अधिशायी अधिकारी

56AD 009849

नगर पालिका परिषद, जौनपुर

हलफनामा मिनजानिब

हरिनाथ यादव पुत्र स्व. सतई यादव

निवासी तवसरवाँ जिला जौनपुर हस्ब जैल हूँ।

- 1- मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मैं नगर पालिका परिषद जौनपुर के निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार हूँ।
- 2- मैं बहलफ बयान करता हूँ कि नगरपालिका परिषद जौनपुर में भगत सिंह यादव के कारिभागी कार्य रु० 2851000 =00 का प्राप्त किया है।
- 3- मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मुझे नियमानुसार जमानत के रूप में अनुबन्ध भरा जाना है, जिसमें मैने प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ के आदेश सं० सो०वि०का०नि०-5-1712/ग्यारह-2006-500 (डब्लू-29)/2005 दिनांक 02-05-2006 के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में नियोजित रिट याचिका सं० 35097/2004 पर मे० स्ट्रॉ, कन्सट्रक्शन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिये गये निर्देशानुसार रु 100/- स्टैम्प पर अनुबन्ध भर कर दिया है।
- 4- मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में उक्त रिट याचिका में आदेश पारित होने पर तदनुसार उसका पालन पूर्णरूपेण करूँगा।

उपरोक्त मजमून मेरे इल्म जाति से सच व सही है, कोई बात न झूठ है और न छिपाई गई है। ईश्वर मेरी मदद करे।

Har. Meeta
Sohai. Ganda

11-6-18



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and date 11-6-18